


16/7/19

वादी एवं उनमें अधिनष्ठा को उबार खोज
दिलामी गयी। यह आज न्यायालय में
उपस्थित नहीं हैं।

पत्रावली का अल्लोकन किया। अधि.
वादी ने 10 अक्षर के बाद भी शेष प्रति
4,9 का तलबाका पेश नहीं किया है तथा
अज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं
हुए हैं।

अतः वाद, वादी अदम हाजरी, अदम
पैरवी न अदम तकमील में खारिज
किया जाता है। पत्रावली निर्णय में
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा
वाद तामील तकमील दारिखत दफतर
हो।


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला इलावाद्
(राजस्थान)